



बिहार सरकार

बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015



शिकायत का निवारण हो गया आसान



सामान्य



1. आम लोगों की शिकायतों के निवारण की सुदृढ़ कार्य प्रणाली विकसित करने तथा एक निश्चित समय सीमा के अंदर परिवाद की सुनवाई एवं उसके निवारण का अधिकार नागरिकों को देने के उद्देश्य से बिहार विधान मंडल द्वारा बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 पारित किया गया है तथा इसे दिनांक 28 अगस्त, 2015 को राजपत्र में प्रकाशित किया जा चुका है ।



2- इसे कार्यात्मक स्वरूप प्रदान करने के लिए दिनांक-22.

01.2016 को बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार

नियमावली भी अधिसूचित कर दी गयी है।



यह अधिनियम कब से लागू होगा ?

- बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम को पूरे राज्य में 05 जून, 2016 से लागू किया जाएगा ।



क्या है यह अधिकार

- इस अधिनियम के प्रभावी हो जाने के पश्चात् आम जनता को एक निश्चित समय-सीमा के भीतर किसी परिवार पर सुनवाई एवं उसके निवारण का अवसर और परिवार पर सुनवाई में किये गये विनिश्चय/निर्णय के बारे में सूचना प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त होगा।



अधिनियम के कार्यान्वयन हेतु पद संरचना

अनुमंडल स्तर पर

अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी



अपर समाहर्ता (लोक शिकायत निवारण)
(प्रथम अपीलीय प्राधिकार)



जिला पदाधिकारी
(द्वितीय अपीलीय प्राधिकार)



प्रमंडलीय आयुक्त
(पुनरीक्षण प्राधिकार)

अधिनियम के कार्यान्वयन हेतु पद संरचना

जिला स्तर पर

अपर समाहर्ता (लोक शिकायत निवारण)
(जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी)

प्रमंडलीय आयुक्त
(प्रथम अपीलीय प्राधिकार)

संबंधित विभागीय सचिव/प्रधान सचिव
(द्वितीय अपीलीय प्राधिकार)

विभागीय जाँच आयुक्त
(पुनरीक्षण प्राधिकार)



अधिनियम के कार्यान्वयन हेतु पद संरचना



विभाग स्तर पर

उप सचिव
(विभागीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी)



संयुक्त सचिव/अपर सचिव/विशेष सचिव
(प्रथम अपीलीय प्राधिकार)



विभागीय सचिव/प्रधान सचिव
(द्वितीय अपीलीय प्राधिकार)



विभागीय जांच आयुक्त
(पुनरीक्षण प्राधिकार)



इस अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु निम्नांकित सहयोगी कर्मी (Supporting Staff) का प्राव किया गया है।



| क्र.सं. | पदनाम | प्रत्येक कार्यालय हेतु प्रस्तावित पदों की संख्या |
|--|---|--|
| अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के कार्यालय हेतु | | |
| 1. | आई.टी. सहायक | 1 |
| 2. | कार्यपालक सहायक(विधि) | 2 |
| 3. | कार्यपालक सहायक | 2 |
| 4. | मल्टी टॉस्किंग स्टाॅफ- डूँ (वाह्य स्रोत से) अथवा गृह रक्षक(होम गार्ड) | 2 |
| 5. | आशुलिपिक | 1 |
| अपर समाहर्ता (लोक शिकायत निवारण)-सह-जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के कार्यालय हेतु | | |
| 6. | आई.टी. सहायक | 1 |
| 7. | कार्यपालक सहायक(विधि) | 2 |
| 8. | कार्यपालक सहायक | 2 |
| 9. | मल्टी टॉस्किंग स्टाॅफ- डूँ (वाह्य स्रोत से) अथवा गृह रक्षक(होम गार्ड) | 2 |
| 10. | आशुलिपिक | 1 |
| प्रमंडलीय आयुक्त के कार्यालय हेतु | | |
| 11. | कार्यपालक सहायक(विधि) | 2 |
| 12. | कार्यपालक सहायक | 2 |
| विभागीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के कार्यालय हेतु | | |
| 13. | कार्यपालक सहायक | 2 |
| 14. | कार्यपालक सहायक(विधि) | 2 |
| एकीकृत शिकायत प्राप्ति केंद्र हेतु | | |
| 15. | कार्यपालक सहायक | 30 |



सुनवाई की अधिकारिता

परिवाद की सुनवाई के लिए विभिन्न स्तरों पर नियुक्त किये गए लोक शिकायत निवारण पदाधिकारियों की अधिकारिता निम्नवत् निर्धारित की गई है:-

| क्र.सं. | इकाई | परिवाद सुनवाई एवं निस्तार की अधिकारिता | vH;qfDr |
|---------|---|---|---------|
| 1- | अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी | अनुमंडल स्तर अथवा इससे नीचे के सभी लोक प्राधिकारों के स्तर पर निवारण होने वाले परिवाद के लिए (अनुमंडल पदाधिकारी तथा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सहित) | |
| 2- | जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी (अपर समाहर्ता लोक शिकायत निवारण) | जिला स्तर अथवा इससे नीचे परन्तु अनुमंडल स्तर के उपर के लोक प्राधिकारों के स्तर पर निवारण होने वाले परिवाद के लिए | |
| 3- | विभागीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी | जिला स्तर से उपर के लोक प्राधिकारों के स्तर पर निवारण होने वाले परिवाद के लिए | |



तात्पर्य यह कि ऐसे परिवार जिसके निवारण के लिए जैसे लोक प्राधिकार सक्षम हैं जो अनुमंडल स्तर अथवा इसके नीचे के स्तर (पद सोपान के अनुसार) के हैं, तो उन शिकायतों को अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के समक्ष दायर किया जा सकेगा तथा वे उसकी सुनवाई के लिए सक्षम होंगे। इसी प्रकार जिन शिकायतों के निवारण के लिए सक्षम लोक प्राधिकार जिला स्तर अथवा इससे नीचे परन्तु अनुमंडल स्तर के उपर होंगे तो उन शिकायतों को जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के समक्ष दायर किया जा सकेगा तथा वे उसकी सुनवाई के लिए सक्षम होंगे। जिला स्तर से ऊपर के लोक प्राधिकारों के स्तर पर निवारण होने वाले परिवार विभागीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के पास दायर किये जा सकेंगे।



निर्धारित अधिकारिता से भिन्न लोक प्राधिकार के स्तर पर निवारण होने वाले परिवाद को लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी सक्षम अधिकारिता वाले लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी को अंतरित कर देंगे।



नियत समय सीमा



लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, प्रथम अपीलीय प्राधिकार, द्वितीय अपीलीय प्राधिकार, पुनरीक्षण प्राधिकार – इन सभी स्तरों पर परिवाद/अपील के निवारण / विनिश्चय के लिए अधिकतम समय सीमा 60 (साठ) कार्य दिवस निर्धारित किया गया है।



नियत समय-सीमा उस तारीख से प्रारम्भ होगी, जिस तिथि को कोई परिवार/अपील लोक निवारण पदाधिकारी या परिवार प्राप्त करने के लिए उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को या प्रथम अपीलीय प्राधिकार या द्वितीय अपीलीय प्राधिकार के समक्ष दायर किया गया हो। परिवार के अंतरण में शामिल अवधि ;ज्त्तंदेपज चमतपवकद्ध नियत समय सीमा में परिगणित नहीं होगी और सक्षम लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के कार्यालय में प्राप्ति की तिथि से नियत समय-सीमा की गणना होगी।



परिवाद



बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम की धारा-2 (क) में परिवाद को परिभाषित किया गया है जिसके अनुसार परिवाद से अभिप्रेत है- “राज्य सरकार द्वारा राज्य में चलाई जा रही किसी योजना, कार्यक्रम या सेवा के संबंध में कोई फायदा या अनुतोष मांगने के लिए, या ऐसा फायदा या अनुतोष प्रदान करने में विफलता या विलम्ब के संबंध में, या किसी लोक प्राधिकार के कृत्यकरण में विफलता से, या उसके द्वारा राज्य में प्रवृत्त किसी विधि, नीति सेवा, कार्यक्रम या योजना में उल्लंघन से उदभूत किसी मामले के संबंध में, किसी नागरिक या नागरिकों के समूह द्वारा लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी को किया गया कोई आवेदन, किन्तु इसमें किसी लोक सेवक, चाहे वह सेवारत हो या सेवानिवृत्त, के सेवा मामलों से संबंधित या किसी ऐसे मामले से संबंधित, जिसमें किसी न्यायालय या अधिकरण की अधिकारिता हो या सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (2005 का केन्द्रीय अधिनियम सं०-22) के अधीन किसी मामले या बिहार लोक सेवा के अधिकार अधिनियम, 2011 के अधीन अधिसूचित सेवाओं से संबंधित शिकायत सम्मिलित नहीं है।”



अर्थात् इस अधिनियम द्वारा आम जनता को, राज्य सरकार द्वारा राज्य में चलायी जा रही किसी योजना, कार्यक्रम या सेवा के संबंध में कोई लाभ या अनुतोष माँगने अथवा ऐसा लाभ या अनुतोष प्रदान करने में विफलता या विलंब के लिए अथवा किसी लोक प्राधिकार के कार्य करने में विफलता से, या उस लोक सेवक द्वारा राज्य में प्रवृत्त किसी विधि, नीति, सेवा, कार्यक्रम या योजना के उल्लंघन से उत्पन्न किसी मामलें में, परिवाद दायर करने का अधिकार प्रदान किया गया है।



वैसे विषय जो परिवार की श्रेणी में शामिल नहीं होंगे

अधिनियम के प्रावधानों के तहत किसी लोक सेवक, चाहे यह सेवारत हो या सेवा निवृत्त, के सेवा मामलों से संबंधित या कोई ऐसा मामला जिसमें किसी न्यायालय या अभिकरण की अधिकारिता हो या सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन किसी मामले या बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम, 2011 के अधीन अधिसूचित सेवाओं से संबंधित शिकायत सम्मिलित नहीं है।



ऐसे मामलों से संबंधित परिवार/शिकायत पत्र प्राप्त होने पर उसे सक्षम प्राधिकार को निवारण की दिशा में समुचित कार्रवाई हेतु संदर्भित ;तममितद्ध कर दिया जाएगा अथवा न्यायालयीय मामला होने की स्थिति में उस पर न्यायालय से ही अनुतोष प्राप्त करने का सुझाव दिया जाएगा ।



परिवाद दायर करने के माध्यम

बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार नियमावली, 2016 के नियम-3 के तहत कोई भी व्यक्ति, जो अधिनियम के अधीन अपनी परिवाद पर सुनवाई और उसके निवारण का इच्छुक हो, प्रपत्र-1 अथवा सादे कागज में अपना नाम, पता, मोबाईल/फोन नम्बर, ई-मेल, आधार कार्ड संख्या और परिवाद की विशिष्टियों का उल्लेख करते हुए लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी को परिवाद प्रस्तुत करेगा किन्तु मोबाईल/फोन नम्बर, ई-मेल एवं आधार कार्ड संख्या का उल्लेख करना अनिवार्य नहीं होगा।



विभागवार योजना, कार्यक्रम एवं सेवायें जिनके संबंध में परिवार दायर किया जा सकेगा



बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम की धारा-4 में यह उपबंधित है कि राज्य सरकार, समय-समय पर, विभागवार योजना, कार्यक्रम एवं सेवाओं को, जिनके संबंध में परिवार दायर किया जा सकेगा एवं लोक प्राधिकार एवं विभाग को जिनके स्तर पर परिवार का निवारण होगा, अधिसूचित कर सकेगी।



अधिनियम की धारा-4 के तहत विभागवार योजना, कार्यक्रम एवं सेवाएँ, जिनके संबंध में परिवार दायर किया जा सकेगा एवं लोक प्राधिकार एवं विभाग जिनके स्तर पर परिवार का निवारण होगा, की सूची विभागों से प्राप्त की गयी है। इसी प्रकार बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत परिवार नहीं दायर किये जा सकने वाले योजना, कार्यक्रम एवं सेवाओं की सूची भी विभागों से प्राप्त की गयी है तथा इसे विभागवार समेकित किया गया है।



परिवाद दायर किये जा सकने वाले योजना कार्यक्रम एवं सेवाओं तथा परिवाद नहीं दायर किये जा सकने वाले योजना कार्यक्रम एवं सेवाओं का क्रमशः Common Positive List एवं Common Negative List तैयार किया गया है।



शिकायत का निवारण हो गया आसान

सभी विभागों के लिए Common Positive List

| क्र. सं. | विभाग का नाम | योजना/कार्यक्रम एवं सेवाएँ जिनके संबंध में परिवाद दायर किया जा सकेगा। | लोक प्राधिकार जिनके स्तर पर परिवाद का निवारण होगा। |
|----------|--------------|---|--|
| | सभी विभाग | पदाधिकारियों/कर्मचारियों के आचरण/कृत्यकरण से संबंधित शिकायतें | विभागीय अथवा जिला स्तरीय नियंत्री पदाधिकारी |

सभी विभागों के लिए Common Negative List

| क्र.सं. | विभाग का नाम | वैसी योजनाएँ/ कार्यक्रम एवं सेवाएँ जिनके संबंध में परिवाद नहीं दायर किया जा सकेगा। | परिवाद दायर नहीं किये जाने वाली सूची में शामिल करने का कारण |
|---------|--------------|--|--|
| ** | सभी विभाग | लोक सेवकों(सेवारत अथवा सेवा निवृत्त) के सेवा मामलों से संबंधित मामलें | बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम में यह विषय परिवाद के रूप में शामिल नहीं है तथा ऐसे मामलों के निवारण हेतु विभाग में समुचित फोरम उपलब्ध है |
| | | सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन कोई मामला | बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम में यह विषय परिवाद के रूप में शामिल नहीं है तथा ऐसे मामलों के निवारण हेतु समुचित फोरम उपलब्ध है |
| | | बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम, 2011 के अधीन अधिसूचित सेवाओं से संबंधित शिकायत | बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम में यह विषय परिवाद के रूप में शामिल नहीं है तथा ऐसे मामलों के निवारण हेतु समुचित फोरम उपलब्ध है |
| | | किसी न्यायालय या अधिकरण की अधिकारिता वाले मामले | बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम में यह विषय परिवाद के रूप में शामिल नहीं है तथा ऐसे मामलों का निवारण संबंधित न्यायालय/अधिकरण में कराया जा सकता है |



परिवाद दायर किये जा सकने वाले योजना/कार्यक्रम/सेवाओं तथा लोक प्राधिकार से संबंधित सूचना की उपलब्धता

लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के कार्यालय के सुगोचर स्थान पर योजना कार्यक्रम/सेवायें जिनके संबंध में परिवाद दायर किया जा सकेगा एवं लोक प्राधिकार एवं विभाग जिनके स्तर पर परिवाद का निवारण होगा से संबंधित सूचनाओं का प्रदर्शन दिवाल लेखन अथवा बड़े होर्डिंग्स के माध्यम से किया जा सकता है ताकि परिवादी को आवेदन पत्र भरने में सुगमता हो। ऐसी सूचनायें लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के कार्यालय में लगाये जाने वाले टच स्क्रीन कियोस्क (Touch Screen kiosk) पर भी उपलब्ध होंगी।



परिवाद दायर करने के माध्यम

परिवाद निम्नलिखित माध्यम से दायर किये जा सकते हैं :-

- (क) लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के कार्यालय के निर्धारित काउंटर पर प्रस्तुत कर, अथवा
- (ख) डाक द्वारा, अथवा
- (ग) इलेक्ट्रॉनिक माध्यम यथा, ई-मेल, ऑनलाईन पोर्टल, मोबाईल ऐप, एस.एम.एस. के द्वारा, अथवा
- (घ) कॉल सेंटर के द्वारा।



परिवाद कहाँ दायर किये जायेंगे ?

परिवाद अनुमंडलीय अथवा जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के कार्यालय स्थित लोक शिकायत काउंटर या सचिवालय स्थित एकीकृत शिकायत प्राप्ति केन्द्र पर प्राप्त कराये जा सकते हैं। परिवाद डाक द्वारा अथवा ऑन लाईन भी दायर किया जा सकता है।



अधिनियम के अधीन परिवाद दायर करने हेतु इच्छुक व्यक्ति द्वारा परिवाद दाखिल करने के संबंध में, सूचना माँगे जाने पर, लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी/कर्मचारी या केन्द्र प्रभारी यथासंभव परिवादी की सहायता करेंगे।



परिवाद प्राप्ति पर की जाने वाली कार्रवाई



➤ परिवाद प्राप्त होने पर लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी या उनके द्वारा लोक शिकायत प्राप्ति काउंटर पर प्रतिनियुक्त कार्यपालक सहायक परिवादी को प्रपत्र-2 में परिवाद की पावती देगा ।

➤ इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्राप्त होने वाले परिवाद की पावती प्रपत्र-2 के बदले उसी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दी जा सकेगी जिस माध्यम से परिवाद प्राप्त हुआ हो ।



परिवाद प्राप्ति पर की जाने वाली कार्रवाई



शिकायत का निवारण हो गया आसान

➤ प्रत्येक परिवाद को एक software generated अनन्य पंजीयन संख्या आवंटित की जाएगी और इसी अनन्य पंजीयन संख्या का उपयोग सभी स्तरों, यथा-परिवाद की सुनवाई, प्रथम अपील, द्वितीय अपील या पुनरीक्षण में किया जायेगा।

➤ परिवाद की पावती रसीद (प्रपत्र-2) पर ही परिवाद की सुनवाई और निवारण के लिए निर्धारित प्रथम तिथि अंकित रहेगी।



परिवाद पर सुनवाई

- लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी परिवाद प्राप्त होने पर नियत समय-सीमा के भीतर परिवादी को सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा।
- सुनवाई के दौरान परिवादी अपने दावे के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत कर सकेगा।



परिवाद पर सुनवाई

- सुनवाई की निश्चित तिथि को परिवादी तथा परिवाद के निवारण से संबंधित लोक प्राधिकार अपना पक्ष/प्रतिवेदन रखेंगे तथा सम्यक सुनवाई के पश्चात लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी द्वारा निर्णय पारित किया जाएगा।



परिवाद पर विनिश्चय

- लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी परिवादी को सुनने और शिकायत के निवारण हेतु उत्तरदायी लोक प्राधिकार के प्रतिवेदन एवं उपलब्ध कराये गये साक्ष्यों की समीक्षा के पश्चात परिवाद को
 - या तो स्वीकार करेगा
 - या किसी अन्य विधि, नीति, सेवा, कार्यक्रम या योजना के अधीन उपलब्ध कोई वैकल्पिक फायदा या अनुतोष सुझायेगा
 - या कारणों को लेखबद्ध कर उसे खारिज करते हुए परिवाद को विनिश्चित करेगा और नियत समय-सीमा के भीतर परिवाद पर अपने विनिश्चय से परिवादी को संसूचित करेगा।



सुनवाई का अर्द्ध न्यायिक प्रकृति का होना



शिकायत का निवारण हो गया आसान

➤ लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी को किसी परिवाद का विनिश्चय करते समय वहीं शक्तियां प्राप्त होंगी, जो किसी भी व्यक्ति को सम्मन करने और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने तथा शपथ पर उसकी परीक्षा करने, किसी दस्तावेज या साक्ष्य के रूप में पेश की जा सकने वाली तात्विक सामग्री को प्रकट करने और प्रस्तुत करने, शपथ पत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करने, किसी लोक अभिलेख की अपेक्षा करने, साक्षियों की परीक्षा के लिए कमीशन जारी करने, अपने विनिश्चयों, निदेशों और आदेशों का पुनर्विलोकन करने के संबंध में सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन किसी वाद का विचारण करते समय किसी सिविल न्यायालय में निहित होती है ।



प्रथम अपील

➤ यदि किसी व्यक्ति को नियत समय-सीमा के भीतर सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया हो या जो लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के विनिश्चय से व्यथित हो, ऐसी स्थिति में प्रथम अपीलीय प्राधिकार के समक्ष अपील दायर कर सकता है।



प्रथम अपील दायर करने की समय सीमा

- ऐसी अपील निर्णय/विनिश्चय हेतु नियत किये गये समय-सीमा की समाप्ति से अथवा लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के विनिश्चय की तारीख से तीस दिवस के भीतर की जा सकेगी।
- परंतु प्रथम अपीलीय प्राधिकार तीस दिवसों के पश्चात किंतु पैंतालीस दिनों तक अपील ग्रहण कर सकता है यदि उसको यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी पर्याप्त कारण से समय पर अपील दायर करने से वंचित रहा है।



द्वितीय अपील

➤ प्रथम अपीलीय प्राधिकार के निर्णय के विरुद्ध द्वितीय अपीलीय प्राधिकार के समक्ष अपील आवेदन दायर किया जा सकता है। कोई व्यथित व्यक्ति सीधे द्वितीय अपीलीय प्राधिकार के समक्ष अपील दायर कर सकता है, यदि लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, प्रथम अपीलीय प्राधिकार के आदेश, जिसमें प्रथम अपीलीय प्राधिकार लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी को उसके द्वारा विनिर्दिष्ट समयावधि में परिवादी को सुनवाई एवं निराकरण का अवसर प्रदान करने का आदेश देता है, का पालन नहीं करता है अथवा प्रथम अपीलीय प्राधिकार नियत समय सीमाओं के भीतर अपील का निपटारा नहीं करता है तो उसके लिए द्वितीय अपील दायर किया जा सकेगा।



द्वितीय अपील दायर करने की समय सीमा

- द्वितीय अपील प्रथम अपीलीय प्राधिकार के निर्णय की तारीख से 30 दिवसों के भीतर दायर की जा सकेगी।
- परन्तु द्वितीय अपीलीय प्राधिकार, तीस दिनों के पश्चात परन्तु अधिक से अधिक पैंतालीस दिनों तक अपील को ग्रहण कर सकेगा यदि उनको यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी समय पर अपील दायर करने से पर्याप्त कारण से वंचित रहा है।



शास्ति



- जहां द्वितीय अपीलीय प्राधिकार के विचार में यह हो कि लाक शिकायत निवारण पदाधिकारी या अन्य कोई लोक प्राधिकार या प्रथम अपीलीय प्राधिकार, बिना किसी पर्याप्त और युक्तियुक्त कारण के नियत समय-सीमा के भीतर सुनवाई एवं निवारण का अवसर प्रदान करने में विफल रहा है, वहां वह उस पर शास्ति अधिरोपित कर सकेगा।
- शास्ति की राशि कम से कम पांच सौ रूपये और अधिक से अधिक पांच हजार रूपये होगी।
- परन्तु शास्ति अधिरोपित करने से पूर्व उस व्यक्ति को, जिस पर शास्ति अधिरोपित किया जाना प्रस्तावित हो, सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किया जायेगा।



शास्ति की वसूली

➤ द्वितीय अपीलीय प्राधिकार द्वारा अधिरोपित शास्ति लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी या अन्य किसी लोक प्राधिकार या प्रथम अपीलीय प्राधिकार के वेतन से वसूलनीय होगी।



अनुशासनिक कार्रवाई

➤ द्वितीय अपीलीय प्राधिकार को यदि यह समाधान हो जाता है कि लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी या अन्य कोई लोक प्राधिकार या प्रथम अपीलीय प्राधिकार, पर्याप्त और युक्तियुक्त कारण बतलाये बिना, इस अधिनियम के अधीन उसको समनुदेशित कर्तव्यों को निर्वहन करने में विफल रहा है, तो उस पर लागू सेवा नियमों के अधीन उसके विरुद्ध कार्रवाई की सिफारिश कर सकेगा।



पुनरीक्षण

➤ शास्ति अधिरोपित करने के संबंध में द्वितीय अपीलीय प्राधिकार के किसी आदेश द्वारा व्यथित लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी या अन्य लोक प्राधिकार पुनरीक्षण प्राधिकार के समक्ष उस आदेश के पुनरीक्षण के लिए आवेदन कर सकेगा।



पुनरीक्षण आवेदन दायर करने की समय सीमा

➤ पुनरीक्षण आवेदन प्रथम अपीलीय प्राधिकार, द्वितीय अपीलीय प्राधिकार के आदेश की तारीख से साठ दिवसों की कालावधि के भीतर दायर किया जाएगा। परन्तु पुनरीक्षण प्राधिकार साठ दिवसों के पश्चात किन्तु पचहत्तर दिवसों तक किसी आवेदन को ग्रहण कर सकेगा, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि आवेदक समय पर अपील दायर करने से पर्याप्त कारण से वंचित रहा है।



धन्यवाद